BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 08 अप्रैल, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या व डकैती की घटना कारित करने के 07 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास व 11-11 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा 03 अन्य अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. गुड्डु पुत्र आशिक अली 2. यामीन पुत्र मौ0 अहसान 3. जमील पुत्र मौ0 मन्जूर निवासीगण मौड़ी अब्दुल्लापुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ 4. अफसर उर्फ राजू पुत्र हाकिम अली 5. जाबिर पुत्र आशिक अली 6. रहीश पुत्र छोटे निवासीगण मौ0 पाठक कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर 7. इसराईल पुत्र यामीन निवासी ग्राम औरंगाबाद रसूलपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ 8. संजय चौधरी पुत्र श्यौराज सिंह निवासी ग्राम डरौरा थाना अनूपशहर 9. सचिन पुत्र गिरीशचन्द्र निवासी पुख्ता बाजार थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर 10. श्रीपाल पुत्र श्यामलाल निवासी मौ0 जटियान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2011 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अरविन्द सिंह जोकि राजेश मसाले के ट्रक के ड्राइवर थे तथा हैल्पर नवीन की हत्या कर शव को सड़क के किनारे गड्डे में छिपाकर ट्रक को लूट कर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.11.2011 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 868/2011 धारा 396, 201, 412 भादवि पजीकृत किया गया तथा बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर क्रमशः मुअसं- 889/2011 धारा 25 शस्त्र अधि0 बनाम गुड्डु, 890/2011 धारा 25 शस्त्र अधि0 बनाम यामीन, 891/2011 धारा 25 शस्त्र अधि0 बनाम जमील, 892/2011 धारा 25 शस्त्र अधि0 बनाम अफसर उर्फ राजू पंजीकृत किया गया व दिनांक 25.02.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 08.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-03 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. गुड्ड 2. यामीन 3. जमील 4. अफसर उर्फ राजू 5. जाबिर 6. रहीश 7. इसराईल को आजीवन सश्रम कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा तथा 8. संजय चौधरी 9. सचिन 10. श्रीपाल को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 07-07- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवीन कुमार राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।